न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 115/2017 **दायर तारीख :–** 04.12.2017

1. यादराम पुत्र कजोड
2. धापा पत्नि कजोड

} समस्त जाति बलाई निवासी तेवडी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—– अप्रार्थी

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र बाबत सीमांकन, पत्थरगढी एवं सीमा निश्चयकरण

निर्णय

निर्णय दिनांक : 22.03.2018

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम तेवडी के खाता संख्या 252 में दर्ज खसरा नम्बर 1120/0.20, 1121/0.27, 1122/1970/0.06, 1141/0.06 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी ने तहसीलदार के आदेश क्रमांक : भू.अ./2017/5366 दिनांक 27.10.2017 की पालना में दिनांक 03.10.2017 को सीमाज्ञान करवाया है। प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1120/0.20, 1121/0.27, 1122/1970/0.06, 1141/0.06 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर का सीमांकन पत्थरगढी एवं सीमा निश्चकरण किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074, नकल फर्द सीमाज्ञान दिनांक 03.10.2017 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। तेवडी के खाता संख्या 252 में दर्ज खसरा नम्बर 1120/0.20, 1121/0.27, 1122/1970/0.06, 1141/0.06 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर

प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। मुताबिक फर्द सीमाज्ञान दिनांक 03.10.2017 प्रार्थी ने अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाया है, तथा प्रार्थी की आराजी से अन्य किसी का कोई संबंध नहीं है। खातेदार को अपनी आराजी की सीमाओं को सुरक्षित रखने का अधिकारी है तथा खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किया जाना न्यायसंगत है।

6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि आराजी ग्राम तेवडी के खाता संख्या 252 में दर्ज खसरा नम्बर 1120/0.20, 1121/0.27, 1122/1970/0.06, 1141/0.06 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर का सीमांकन कर पत्थरगढी चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official